संख्या-187/2016/3498/26-3-2016-10(26)/2016

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक-21 अक्टूबर, 2016

विषयः- शिक्षा सत्र 2016-17 हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा-6 में प्रवेश हेतु छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-111/ज0ज0वि0/ए0टी0एस0/2016-17, दिनांक-29-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू शिक्षा सत्र 2016-17 हेतु जनपद-लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज एवं बिजनौर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रिक्त स्थान को भरे जाने हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा-6 में प्रवेश हेतु आनलाइन के स्थान पर आफलाइन प्रवेश परीक्षा कराये जाने हेतु छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक-06-10-2015 के प्रस्तर-4 में दी गयी व्यवस्थानुसार नवोदय विद्यालय की भांति प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा-6 में प्रवेश हेतु संयुक्त आनलाइन प्रवेश परीक्षा दिनांक-14-02-2016 को सभी जनपदों में करायी गयी थी। निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार दिनांक-14-02-2016 को हुयी संयुक्त आनलाइन प्रवेश परीक्षा हेतु नामांकन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त न होने के कारण उक्त जनपदों के अनुसूचित जनजाति के अनेकों छात्रों द्वारा नामांकन फार्म न भर सकने के कारण आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, जिसके कारण जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित निम्नवत् राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सीटे रिक्त हैं, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्रमांक	विद्यालय का नाम	स्वीकृत क्षमता	भरी सीट	रिक्त सीट	अभ्युक्ति
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी (छाउछ)	35	35	0	कक्षा कक्षों की कमी के दृष्टिगत व विद्यालय पूर्ण क्षमता के संचालित होने के कारण 35 सीटे ही भरी गयी हैं।
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी (बेलापरसुआ)	35	35	0	
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी (चन्दन चैकी)	35	35	0	
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिरसिया-श्रावस्ती	35	19	16	
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम,	70	09	61	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	बलरामपुर				
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर	70	02	68	
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बिछिया, बहराइच	70	32	38	
8	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौतनवा, महाराजगंज	70	13	57	
9	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नजीबाबाद, बिजनौर	70	21	49	

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरांत चालू शिक्षा सत्र 2016-17 के लिये ही जनपद-लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज एवं बिजनौर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रिक्त स्थान को भरे जाने हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही कक्षा-6 में प्रवेश हेतु आनलाइन के स्थान पर आफलाइन प्रवेश परीक्षा कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-187/2016/3498(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर एवं मुरादाबाद, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज एवं बिजनौर, उ0प्र0।
4- मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर एवं मुरादाबाद, उ0प्र0।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज एवं बिजनौर, उ0प्र0।
6- अधीक्षक/प्रधानाचार्य, लखीमपुरखीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज एवं बिजनौर, उ0प्र0।
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।